सं0–[illegible]/उन्तीस(2)/06–2(15पे0)/2001

प्रेषक,

डा0एस0एस0संधू
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 3 जुलाई, 2006

विषयः केन्द्र पुरोनिधानित कार्यकम के अन्तर्गत त्वरित नागर पेयजल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में केन्द्राशं/राज्याशं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2429/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 23.06.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित नागर पेयजल कार्यकम के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार अवशेष केन्द्रॉश रू0 10.64 लाख तथा योजना के वित्त पोषण के पैर्टन के अनुसार 45 प्रतिशत के विपरीत अवशेष राज्यॉश रू0 63.18 लाख अर्थात कुल रू0 73.82 लाख की धनराशि (रू0 तिहत्तर लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु संलग्न बी0एम–15 के अनुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग के माध्यम से आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैंकि योजनाओं की लागत के सापेक्ष 5 प्रतिशत की धनराशि स्थानीय निकाय/लाभार्थी द्वारा ही वहन की जायेगी और इस हेतु शासन द्वारा कोई धनराशि अवमुकत नही की जायेगी।

| कमांक | योजना का नाम | केन्द्रॉश | राज्यॉश | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जोशीमठ पुनर्गठन पेयजल योजना | – | 26.80 | 26.80 |
| 2 | द्वाराहाट पुनर्गठन पेयजल योजना | 10.64 | 36.38 | 47.02 |
| | योग | 10.64 | 63.18 | 73.82 |

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, यथा आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

कमशः2

पृ०सं० 1508/उन्तीस(2)/06–2(15पे0)/2001,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6–मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमॉयू उत्तरांचल पेयजल निगम, पौडी/नैनीताल
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय क अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेषक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0एस0एस0संधू)
सचिव

3– केन्द्रॉश/राज्यॉश से निर्मित योजना के कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यो का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में शेष अन्य शर्ते शासनादेश संख्या 3105/उन्तीस/04–2/04(15पे0)/2001,दिनांक 31 जनवरी, 2005 एवं तदविषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार यथावत् रहेंगी।

5– इसके अतिरिक्त अन्य शर्ते शासनादेश संख्या 769/नौ–2 –(51पे) /2001, दिनांक 30 मार्च, 2003 के अनुसार तथा प्रश्नगत योजनाओं के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही रहेगी।

6– व्यय करते समय बजट मेनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर परचेज नियम/डीजीएसएण्डडी अथवा टेण्डार कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन किया जायेगा।

7– कार्य कराते समय आगणन में सैन्टेज वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार निर्धारित 12.5 प्रतिशत ही आंकलित किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का तत्काल उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

9–उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–06–छोटे/मध्यम नगरों की जलापूर्ति (50 प्रतिशत के0स0) – 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

10– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 264/XXVII(2)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0ए0स0एस0संधू)
सचिव

क्रमश..3

# बी0एम0–15 पुर्नविनियोग–2006–07

...नक अधिकारी:–उत्तरांचल पेयजल निगम
...सनिक विभाग:– पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

आयोजनागत

(रू0 हजार में)

| ...नुदान तथा लेखाशीर्षक | मानक मद्वार अध्यावधिक स्थिति | वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय | अवशेष(सरप्लस) | लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है | पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि | पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि। | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2215–जलपूर्ति तथा सफाई<br>02–मल निकासी एवं सफाई<br>107–मल निकासी सेवायें<br>01–केन्द्रीयआयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना<br>05–गंगा कार्ययोजना (70 % केन्द्र पोषित) अतिरिक्त कार्य।<br>20–सहायक अनुदान / अंशदान राजसहायता | | | | 2215–जलपूर्ति तथा सफाई<br>01–जलपूर्ति–आयोजनागत<br>102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम<br>01– केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें।<br>06–छोटे / मध्यम नगरों की जलापूर्ति (50 प्रतिशत के0स0)<br>20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता | | | (क) केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण<br>(ख) बजट व्यवस्था न होने के कारण। |
| 59148 | – | – | 59148(क) | 7382(ख) | 7383 | 51766 | |
| ...योग:– 59148 | – | – | 59148 | 7382 | 7383 | 51766 | |

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(डा0एस0एस0सन्धू)
सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या: 264(क) XXVII-(2) /2006
देहरादून : दिनांक 03 जुलाई 2006

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव वित्त

...ने
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

...ा 1108 (क) / उन्नीस / 06–2–(15पे0) / 2001, तद दिनांक
...लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी,देहरादून । 2. वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी,देहरादून ।

आज्ञा से

(डा0एस0एस0सन्धू)
सचिव